

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] No. 397] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2015/ज्येष्ठ 27,1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2015/JYAISTHA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2015

सा.का.नि. 500(अ).—केन्द्र सरकार, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित और नियम बनाती है, यथा :-

- 1. (1) इन नियमों को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. स्वापक औषधि एंव मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 43 में, उपनियम (1) के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

"बशर्ते कि इस उप-नियम में संदर्भित नोटिस उस मामले में नहीं लागू होगी जिसमें कि ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण जिन पर कि लाइसेंसधारी का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है उत्पादन बंद हो गया हो।"।

- 3. उक्त नियमावली में, नियम 52क में, उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-
- "(8) कोई विनिर्माता आवश्यक स्वापक औषधियों को उतनी मात्रा में रख सकता है जितनी कि इस नियमावली के नियम 36, नियम 36क, या नियम 37 के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस या उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत आवश्यक स्वापक औषधियों के सम्मिश्रण का विनिर्माण करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

बशर्ते कि सरकारी अफीम कारखाने पर आवश्यक स्वापक औषधियों के रखने से संबंधित कोई सीमा नहीं है।"।

4. उक्त नियमावली में नियम 52च में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

- "(1) कोई विनिर्माता अथवा लाइसेंस्ड डीलर प्रिस्क्रिप्शन के अतिरिक्त आवश्यक स्वापक औषधियों की बिक्री निम्नलिखित को करेगा –
  - (क) ऐसे विनिर्माता को जिसे इस नियमावली के नियम 37 के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया गया हो या आवश्यक स्वापक औषधियों के सम्मिश्रण का विनिर्माण करने वाले विनिर्माता को जिसको कि इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया गया हो;
  - (ख) लाइसेंस्ड डीलर;
  - (ग) लाइसेंस्ड केमिस्ट:
  - (ध) पंजीकृत चिकित्सक;
  - (ङ) ऐसा व्यक्ति जो कि इस नियमावली के अंतर्गत औषधि नियंत्रक के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो; अथवा
  - (च) मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था।"।

[फा. सं.एन/11011/1/2014-एनसी-II]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 837(अ) के अंतर्गत दिनांक 14 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 26 अक्तूबर, 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. 786(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993 की का.आ. सं. 599(अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 1993 की सा.का.नि. सं. 748(अ), दिनांक 24 अक्तूबर, 1994 की सा.का.नि. सं. 543, दिनांक 14 फरवरी, 1995 की सा.का.नि.सं.82, दिनांक 14 जुलाई, 1995 की सा.का.नि. सं. 556(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996 की सा.का.नि. सं. 25(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1996 की सा.का.नि. सं. 509(अ), दिनांक 25 जून, 1997 की सा.का.नि. सं. 350 (अ), दिनांक 19 मार्च, 2002 की सा.का.नि. सं. 214 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002 की सा.का.नि. सं. 763(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003 की सा.का.नि.सं.763 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003 की सा.का.नि. सं.115 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003की सा.का.नि. सं. 129(अ), दिनांक 17 मार्च, 2003 की सा.का.नि. सं. 217(अ), दिनांक 04 फरवरी, 2004 की सा.का.नि. सं. 95(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005 की सा.का.नि. सं. 736(अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2006 की सा.का.नि. सं. 639(अ), दिनांक 01 जनवरी, 2008 की सा.का.नि. सं. 2(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010 की का.आ. सं. 1661(अ), दिनांक 11 अप्रैल,2011 की का.आ. सं. 739(अ), दिनांक 22 जून, 2011 की सा.का.नि. सं. 470(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011की सा.का.नि.सं. 905(अ), दिनांक 01 जुलाई, 2014 की सा.का.नि. सं..426(अ), दिनांक 05 फरवरी, 2015 की सा.का.नि. सं. 74(अ), दिनांक 25 मार्च, 2015 की सा.का.नि. सं. 2015 की सा.का.नि. सं. संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2015

- G.S.R. 500(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Fourth Amendment) Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 43, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—
  - "Provided that the notice referred to in this sub-rule shall not apply in case the cessation of manufacture is on account of unforeseen circumstances beyond the control of the licencee."
- 3. In the said rules, in rule 52A, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
  - "(8) A manufacturer may possess essential narcotic drug in such quantity as may be specified in the licence issued under rule 36, rule 36A, or rule 37 of these rules or the licence issued for manufacturing the preparations of essential narcotic drugs under the rules made by the State Government under section 10 of the Act:

Provided that there shall be no limit to the possession of essential narcotic drug by the Government Opium Factories.".

- 4. In the said rules, in rule 52F, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
  - "(1) A manufacturer or licenced dealer shall sell essential narcotic drugs otherwise than on prescription to-
    - (a) a manufacturer who has been issued a licence under rule 37 of these rules or a manufacture of preparations of essential narcotic drugs who has been issued a licence under the rules made by the State Government under section 10 of the Act;
    - (b) a licenced dealer;
    - (c) a licenced chemist;
    - (d) a registered medical practitioner;
    - (e) a person who has been authorised by the Controller of Drugs under these rules; or
    - (f) a recognized medical institution. ".

[F. No. N/11011/1/2014-NC-II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599(E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748(E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556(E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25(E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509(E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214(E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763(E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115(E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217(E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95(E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104 (E), dated the 25th February, 2005, G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639(E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661(E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739(E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated 21st June, 2011, G.S.R. 905(E), dated 28th December, 2011, G.S.R. 426(E), dated 5th May, 2015.